मो0 नं0 : 9473942736

अधिशासी अभियन्ता खण्ड कार्यालय
उत्तर प्रदेश जल निगम, (ग्रामीण) कानपुर देहात।

पत्रांक 7204 / डब्लू–52 / 85 दिनांक 04-7-26

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
लखनऊ।

विषयः– **ई0 पेपर दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर के दिनांक 03.07.2026 के संस्करण में प्रकाशित खबर"कानपुर देहात में जल जीवन मिशन की खुली पोलः अफसरों के सामने चली टोटी, टीम लौटते ही फिर सूखी" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक **ई0 पेपर दैनिक समाचार पत्र दैनिक भाष्कर के दिनांक 03.07.2026 के संस्करण में प्रकाशित खबर"कानपुर देहात में जल जीवन मिशन की खुली पोलः अफसरों के सामने चली टोटी, टीम लौटते ही फिर सूखी"** के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत सिथराखुर्द में अधिष्ठापित पेजयल योजना विकास खण्ड मलासा जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत शिकायत प्राप्त होने के उपरांत शिकायतकर्ता के आवास पर गृह संयोजन उपलब्ध कराते हुए पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ करा दी गई थी। तत्पश्चात ग्राम के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा वितरण प्रणाली पर अनाधिकृत रूप से टुल्लू मोटर लगाकर जल दोहन किए जाने के कारण वितरण प्रणाली का दाब प्रभावित हुआ, जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता के गृह संयोजन पर पेयजल की आपूर्ति बाधित हो गई। प्रकरण संज्ञान में आने पर स्थल का निरीक्षण कराया गया, जिसमें वितरण प्रणाली पर अनधिकृत रूप से लगाए गए टुल्लू मोटरों को हटवाने की कार्रवाई कराई गई, जिससे वितरण प्रणाली का दाब सामान्य हुआ। वर्तमान में शिकायतकर्ता के गृह संयोजन पर पेयजल की आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है। (फोटोग्राफ संलग्न) भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी रखने तथा अनाधिकृत रूप से टुल्लू मोटर लगाए जाने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया गया है। सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / डब्लू–52 / दिनांक........................

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. जिला सूचना अधिकारी, कानपुर देहात।

अधिशासी अभियन्ता